लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 16/ 2022
GCMS NO. : 2022/73

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री शरद पण्ड्या,
कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र,
घंटाघर के पास, त्रिपालिया रोड, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोन्डेंट्स:–

अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 16–11–2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 08–09–2022 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 01–11–2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

अति.जिला कलक्टर बॉसवाडा ने उनके पत्रांक F ( )Rev/ 2022/ 1885 दिनांक 14–11–2022 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग से सम्बन्धित

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

होने से प्रभारी अधिकारी राजस्व (अति.जिला कलक्टर) बॉसवाडा के पत्रांक 1751 दिनांक 04.10.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

दिनांक 16–11–2022 को प्रत्यर्थी सुनवाई हेतु अनुपस्थित है। अपीलार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2022 अनुसार दिनांक 13.05.2022 को प्रस्तुत शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा की जॉच से सम्बन्धित संपूर्ण पत्रावली मय कार्यालय टिप्पणी की प्रति चाही गई है। जिसके सन्दर्भ में अति. जिला कलक्टर बॉसवाडा द्वारा उनके पत्रांक F ( )Rev/ 2022/ 1885 दिनांक 14–11–2022 से प्रस्तुत जवाब अनुसार उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा से जॉच रिर्पोट प्राप्त नही होने से कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है।

हमने पत्रावली का एवं अति.जिला कलक्टर बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 08–09–2022 पर प्रभारी अधिकारी राजस्व (अति. जिला कलक्टर) बॉसवाडा द्वारा उनके पत्रांक 1751 दिनांक 04.10.2022 से सूचना उपलब्ध कराई है। जहॉ तक पूर्ण सूचना का प्रश्न है उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा की जॉच रिर्पोट प्राप्त नही होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही कराई है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजुद है।" चूंकि अति. जिला कलक्टर बॉसवाडा द्वारा उनके पास उपलब्ध सूचना से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner